सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- 419/21 ***दिनांक- 05 सितम्बर* 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.7.2021 को वादी रविज्योति कुमार सिंह पुत्र श्री कालिका सिह **निवासी** सा धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 15 /92021 धारा 363 भादवि बनाम मो0 लुकमान पुत्र मो0 लुकमान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त मो0 राशिद पुत्र मो0 बेलाल ग्राम बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा जहानागंज) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया व विवेचना से मुकदमा उक्त मे धारा 366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह **द्वारा वांछित,वारंटी,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर** पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल **निर्देशन में आज दिनांक 05.09.2021 को उ0नि0 श्री घनश्याम यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर** मु0अ0सं0 159/2021 धारा 363/366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त मो0 राशिद पुत्र मो0 बेलाल ग्राम बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा जहानागंज) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.10 बजे ब्लाक तिराहा कस्बा जहानागंज जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 159/2021 धारा 363/366/376/120बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 राशिद पुत्र मो0 बेलाल ग्राम बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा जहानागंज) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1-उ0नि0 श्री घनश्याम यादव **थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।**

2.का0 आशीष पाल **थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।**

3-का0 कमलेश गोड़ **थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।**

थाना-निजामाबाद

गौवंशी पशु का वध करने वाला एक अभियुक्त 85 किग्रा 150 ग्राम गोमांस व मांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह के निकट प्रर्यवेक्षण में व0उ0नि0 आकाश कुमार मयहमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में सेन्टरवा में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम बारीखास चांदपुर आयमा में कुछ लोग गाय काट रहे है। इस सूचना पर ग्राम वरिष्ठ उ0नि0 मयहमराह द्वारा बारीखास चांदपुर आयमा में पहुच कर देखे कि वहा 03 व्यक्ति गोमांस व मांस काटने के उपकरण के साथ मौजूद थे। पुलिस को अचानक देख दो व्यक्ति भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे तथा उनमें से एक व्यक्ति को चाँदपुर आयमा से समय 14.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अबुशाद पुत्र बकरीदन साकिन बारीखास चांदपुर आयमा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया व भागे गये अभियुक्तों का नाम गुड़िया पुत्री वकील व राकिब पुत्र राशिद निवासीगण बारीखास चांदपुर आयमा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से भारी मात्रा में टब व ड्रम में गोमांस तथा काटने के उपकरण (01 अदद चापड़ व ठिहा) बरामद हुआ। बरामदशुदा मालके सिलसिले विधिक कार्यवाही हेतु पशु चिकित्साधिकारी को लिखित सूचना देकर नमूना तैयार कर शेष गोमांश को जे0सी0बी0 से एक गढ्ढें में दबवाया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु *0अ0सं0-* 162/21धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अबूशाद पुत्र बकरीदन साकिन बारीखास चांदपुर आयमा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

पंजीकृतअभियोग

मु0अ0सं0-162/21धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी

1. गोमांस- 85 किग्रा 150 ग्राम
2. मांस काटने के उपकरण- 01 अदद चापड़ व एक अदद ठिहा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.वरिष्ठ उ0नि0 आकाश कुमार थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 चरण सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

3. का0 सतीश बघेल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

4. म0का0 पूजा उपाध्याय थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

एक-एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध असलहा तथा अवैध शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज 05.09.2021 को उ0नि0 धनराज सिंह मय हमराह का0 टार्जन व का0 मोनू यादव के देखभाल क्षेत्र करते हुए ग्राम कुशल गांव में मौजूद थे कि जरीये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मार्टीनगंज की तरफ से पैदल आ रहा है और उसके पास नजायज असलहा है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह कर्म0गण के साथ मार्टीनगंज की तरफ जा रहे थे कि लारपुर बक्सू पुलिया के पास पहुचे तो मार्टीनगंज की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम द्वारा पास पहुचकर रूकने का ईशारा किया गया तो पीछे मुड़कर भागना चाहा कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर लारपुर बक्सू पुलिया से समय 09.45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम सलमान पुत्र जोखन निवासी चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर अभियुक्त की तलाशी से उसके कब्जे से एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एव गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-121/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 121/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 122/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सलमान पुत्र जोखन निवासी ग्राम चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़
मिथिलेश कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन यादव ग्राम सरावां थाना दीदारगंज आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1-(थानाध्यक्ष)संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2-उ0नि0 सच्चन रामथाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
1-उ0नि0 धनराज सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>एसपी ने जनसेवा केन्द्र व फाईनेन्स कम्पनियों को सीसीटीवी कैमरा लगवाने के दिये निर्देश और साथ ही जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी के साथ ली गयी क्राईम मीटिंग</u>

आज दिनांक- 05.09.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाईन्स सभागार आजमगढ़ में जनपद के समस्त जनसेवा केन्द्रों व फाईनेन्स कम्पनियों के कर्मचारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आप सभी लोग लाकर व सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवायें। जिससे सुरक्षा और बनी रहेंगी। तथा सम्बन्धित को भी आवशयक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक ने जनसेवा केन्द्र व फाइनेन्स कम्पनियों के साथ गोष्ठी समापन के पश्चात जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी के साथ क्राईम मीटिंग ली गयी जिसमें पेडिंग विवेचना व कई अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये। इस मीटिंग में एसपी ट्रैफिक, एसपी नगर व एसपी ग्रामीण व समस्त क्षेत्राधिकारी मौजुद थे।